

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./नि:शक्तता/2018/ 71-80
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

दिनांक: 16-1-18

विषय:- दिव्यांगजनों के नि:शक्तता प्रमाण पत्र की नयी गाईडलाईन उपलब्ध करवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की नि:शक्तता प्रमाण पत्र की जारी अधिसूचना संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

अतः नयी गाईडलाईन अनुसार जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हुए नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (अधिसूचना)

अतिरिक्त निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./नि:शक्तता/2018/ 71-80

दिनांक: 16-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर